न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–86/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम संतोष कुमार उर्फ संतोष

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
08.06.2018	**आदेश** आवेदक संतोष कुमार उर्फ संतोष, पिता–सोमनाथ महतो, मु0–मेडिकल कॉलोनी, पो0–डी0एम0सी0, थाना–लहेरियासराय, (बेंता ओ0पी0), जिला–दरभंगा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लहेरियासराय, बेंता ओ0पी0 थाना कांड संख्या–323/17 में जब्त वाहन मोटर साईकिल T.V.S. Star City रजिस्ट्रेशन नम्बर–**BR07AA-5285** को विमुक्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 2921/2018 में दिनांक 21.02.2018 में पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में पारित आदेश के आलोक में जब्त वाहन के बीमित मूल्य के अनुरूप, बंध पत्र, शपथ पत्र के साथ दो प्रतिभूति जमा करने का आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बंध पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) अनिल रंजन सिन्हा, पिता–सुनील कुमार सिन्हा, मु0 पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, पो0–डी0एम0सी0, थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा वाहन अपाची मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR07AA-1790 बीमित मूल्य के अनुसार कीमत मो0 63953 (तिरसठ हजार नौ सौ तिरपन) रुपये मात्र) (2) संजय साह, पिता–बच्चे लाल साह (बच्चा साह), ग्राम–ब्रहम्पुरा, बथनाहा, थाना–फलपरास, जिला–मधुबनी बोलेरो पिकअप वाहन संख्या–BR32GA-4517 बीमित मूल्य के अनुसार कीमत 5,22,528 (पाँच लाख बाईस हजार पाँच सौ अठाईस) रुपये मात्र, का दिया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य 48,762 (अड़तालिस हजार सात सौ बासठ) रुपये मात्र है। दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित है। जिसे सम्यक जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति के आलोक में लहेरियासराय बेंता ओ0पी0 थाना कांड संख्या–323/17 में जब्त वाहन मोटर साईकिल T.V.S. Star City रजिस्ट्रेशन नम्बर–**BR07AA-5285** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। पारित आदेश वाहन विमुक्ति हेतु एवं प्राप्त बंध–पत्र की प्रति आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, लहेरियासराय को भेजें। आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें। आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। 08/06/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	

D:\2018\Excise Order\Santosh Kumar Santosh 86-2018 (Release).doc